



## JALAUN POLICE

दिनांक -25.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कॉन्वेक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जून कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी पारिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारों व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान० न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40,000/- रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया ।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है -

**प्रकरण प्रथम-** अभियुक्त आदर्श कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम उसरगांव कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा एक नाबालिक लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करने पर वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली उरई पर मु०अ०सं० 199/22 (वादसंख्या 124/22) धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था एवं आरोपी आदर्श को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 25.11.2024 को मा० न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त अभियुक्त आदर्श उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40,000/- रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया ।